3/7/25 वकील प्रार्थी उप० । पत्रावली के अवलोकन बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अपनी ख० नं० 129 रकबा 1.0495 है० वाके ग्राम गुनेसरी पटवार हल्का गुनेसरा तहसील करौली जिला करौली तहसीलदार करौली से पैमाइश कराई जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया है। पत्रावली के पूर्व में विचारण हो चुका है। प्रकरण में पत्थरगढ़ी के आदेश किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्र० पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गुनेसरी पटवार हल्का गुनेसरा तहसील करौली में उनके खाते की कृषि भूमि आराजी ख० नं० 129 रकबा 1.0495 है० वाके ग्राम गुनेसरी पटवार हल्का गुनेसरा तहसील करौली की पत्थरगढ़ी नमानसार पहचान किये जाने के आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, करौली को 2000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार, करौली मौके पर पड़ौसीदार को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी के लिखित सूचना पत्र के समय व तिथि सूचित करें। मौके पर कोई दखल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पहचान उपरान्त [illegible] की पत्थरगढ़ी की जावे। उपरोक्त बिन्दु को [illegible] कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश [illegible] है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावे। पक्षकार अपना-अपना वहन करें। पत्रावली बाद तकमील नियम से दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:33:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible] कारी
करौली (राज.)